वन्य जीवन

राहत आवेदन और वन सुरक्षा गाइड

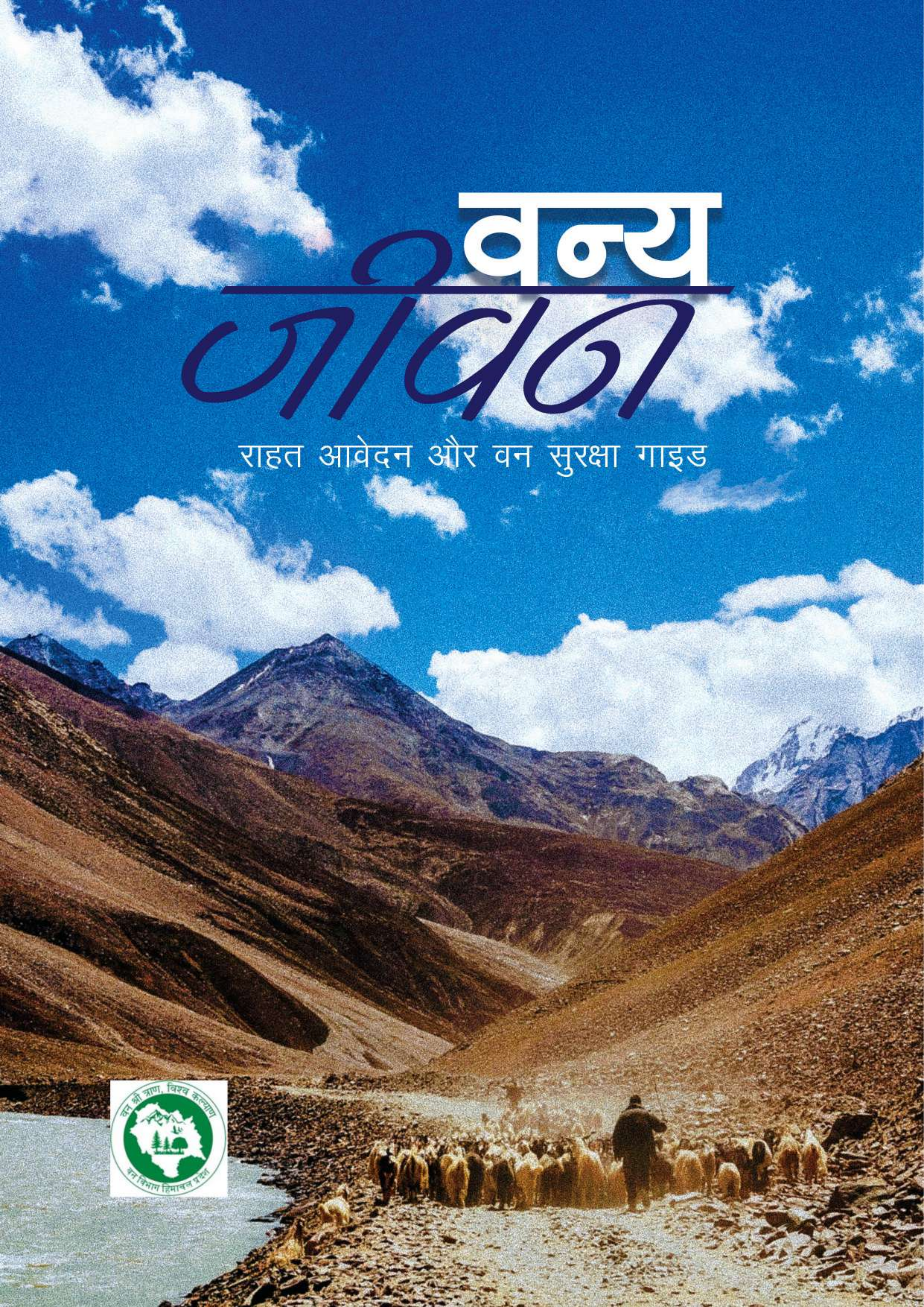

वन श्री त्राण, विश्व कल्याण

वन विभाग हिमाचल प्रदेश

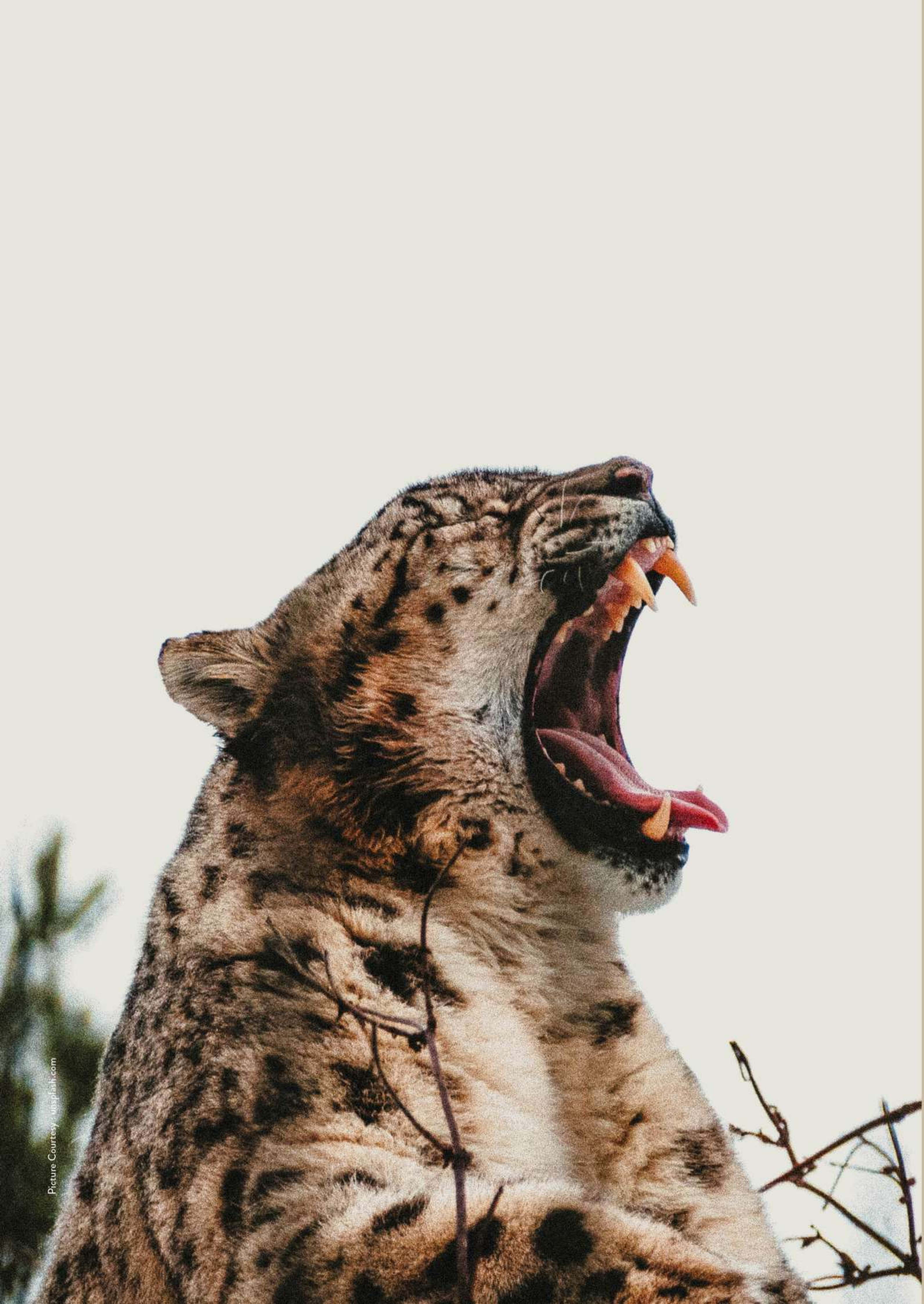

हिमाचल प्रदेश
वन विभाग का
संदेश

हिमाचल प्रदेष देष के उन राज्यों में से एक है जिन्हें प्रकृति ने दिल खोलकर संवारा है। विषाल हिमालय की गोद में बसे इस राज्य में लोगों और संस्कृतियों की समृद्ध विविधता मौजूद है। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों से निकलने वाली नदियां हमारे देष के विषाल मैदानों को मीठा पानी मुहैया कराती हैं, जो जीवनदायी है। हमारे राज्य में वन्य जीवों की भी भरपूर विविधता है, यहां मषहूर हिम तेंदुआ भी है और दुर्लभ वैस्टर्न ट्रैगोपैन भी। हिमाचल प्रदेष के लोगों के जीवन और रोजी–रोटी पर्यावरण से जुड़े हैं। लोगों और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होने के कारण इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होना स्वाभाविक है। और कभी–कभी ऐसी अंतःक्रियाओं का लोगों और उनकी रोजी–रोटी पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है।

हिमाचल प्रदेष वन विभाग के वाइल्डलाइफ विंग को इस बात की बराबर चिन्ता बनी रहती है कि वन्य जीवों का लोगों पर कोई विपरीत असर न पड़े। और वह ऐसी मुष्किलों के समाधान के लिए नीतियां बनाने के प्रति सक्रिय रहा है। हाल ही में हमने उन लोगों को मिलने वाली आर्थिक राहत को और बेहतर बनाया है जो वन्य जीवों के साथ हुई नकारात्मक अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। हमने दावों को दाखिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है ताकि जो लोग सचमुच प्रभावित होते हैं, उन्हें इस नीति से लाभ मिल सके।

इस दस्तावेज में ऐसे ही सरल कदम हैं, और यह तीन भाग में हैं:

- पहले भाग में बताया गया है कि अगर वन्य जीवों के कारण इंसान घायल होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो आर्थिक राहत के लिए कैसे दावा दाखिल करें। अगर जंगली जानवर मवेषियों का षिकार करते हैं तो कैसे दावा दाखिल करें, इस बारे में भी प्रक्रिया बताई गई है। विभिन्न स्तरों पर कौन से फॉर्म भरे जाने हैं, हमने ये भी बताया है।

- इस दस्तावेज के दूसरे हिस्से में सुरक्षा उपायों का जिक्र है, अगर गांव के आसपास या जंगल से गुजरते समय आपका सामना जंगली जानवरों से होता है तो आपको क्या करना है। ये उपाय उन प्रणालियों पर आधारित हैं जिन्हें दुनिया के अन्य हिस्सों में वन्य जीवों पर काम कर रहे विषेशज्ञों ने हिमाचल प्रदेष में सुझाया है।

- तीसरे भाग में वे तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपना कर बाड़े में मवेषियों की सुरक्षा सुनिष्चित की जा सकती है।

हमें आशा है कि ये दस्तावेज राज्य के सभी नागरिकों और वन विभाग के कर्मियों के लिए मददगार साबित होगा।

हमारे राज्य के स्थानीय समुदाय हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक हैं, और हम प्रतिबद्ध हैं कि उनके साथ काम करते हुए हम पर्यावरण को बचाना जारी रखेंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार
वाइल्डलाइफ विंग, वन विभाग
टालंद, शिमला – 171 001

विषय – सूची

भाग–1

वन विभाग की अधिसूचना 01 | 03

व्यक्तियों पर हमला 05 | 06

- **स्थिति–कः** यदि किसी जंगली जानवर के हमले में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। **05**
- **स्थिति–खः** यदि व्यक्तियों पर जंगली जानवरों के हमले से उन्हें सम्पूर्ण/आंशिक अक्षमता हो जाती है या गंभीर चोट आती है। **05**
- **स्थिति–गः** यदि किसी जंगली जानवर द्वारा किसी व्यक्ति पर हुए हमले में उसे मामूली चोट आती है। **05**
- **राहत दरें** **06**
- **टिप्पणी** **06**

मवेशियों पर हमला 07 | 08

- **स्थिति–कः** किसी मवेषी को निजि भूमि/परिसर में मारा गया है और जानवर की लाष जांच–पड़ताल के लिए, और बतौर सबूत उपलब्ध है। **07**
- **स्थिति–खः** मवेषी सामान्य भू क्षेत्र या वन में मारा गया है और उसकी लाष जांच–पड़ताल के लिए और सबूत के तौर पर उपलब्ध है। **07**
- **स्थिति–गः** मवेषी सामान्य भूक्षेत्र/सार्वजनिक जगह या वन में मारा गया है और उसकी लाष जांच–पड़ताल के लिए या सबूत के तौर पर उपलब्ध नहीं है। **07**
- **राहत दरें** **08**
- **टिप्पणी** **08**

वन विभाग रिपोर्टिंग प्रारुप 10 | 15

मृत्यु प्रमाण पत्र 16

भाग–2

वन या बहुत अधिक पेड़–पौधों वाले क्षेत्रों से गुजरते समय अपनाये जाने योग्य सुरक्षा नियम और दिशा निर्देश, ताकि किसी वन्य जीव से आपकी अचानक और अप्रिय मुठभेड़ न हो जाए। 18

अगर इन जीवों से आपका सामना होता है तो इन सुरक्षा संबंधी एहतियातों और दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखें।

- एषियाई काला भालू **19 | 20**
- हिमालयन ब्राउन बेअर/हिमालयी भूरा भालू **21 | 22**
- सामान्य तेंदुआ/कॉमन लैपर्ड **23 | 24**
- स्नो लैपर्ड/हिम तेंदुआ **25 | 26**
- तिबेटन वुल्फ/तिब्बती भेड़िया **27 | 28**

भाग–3

बाड़े के अन्दर मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना 29

स्वीकृतियाँ, अन्य स्रोत 30

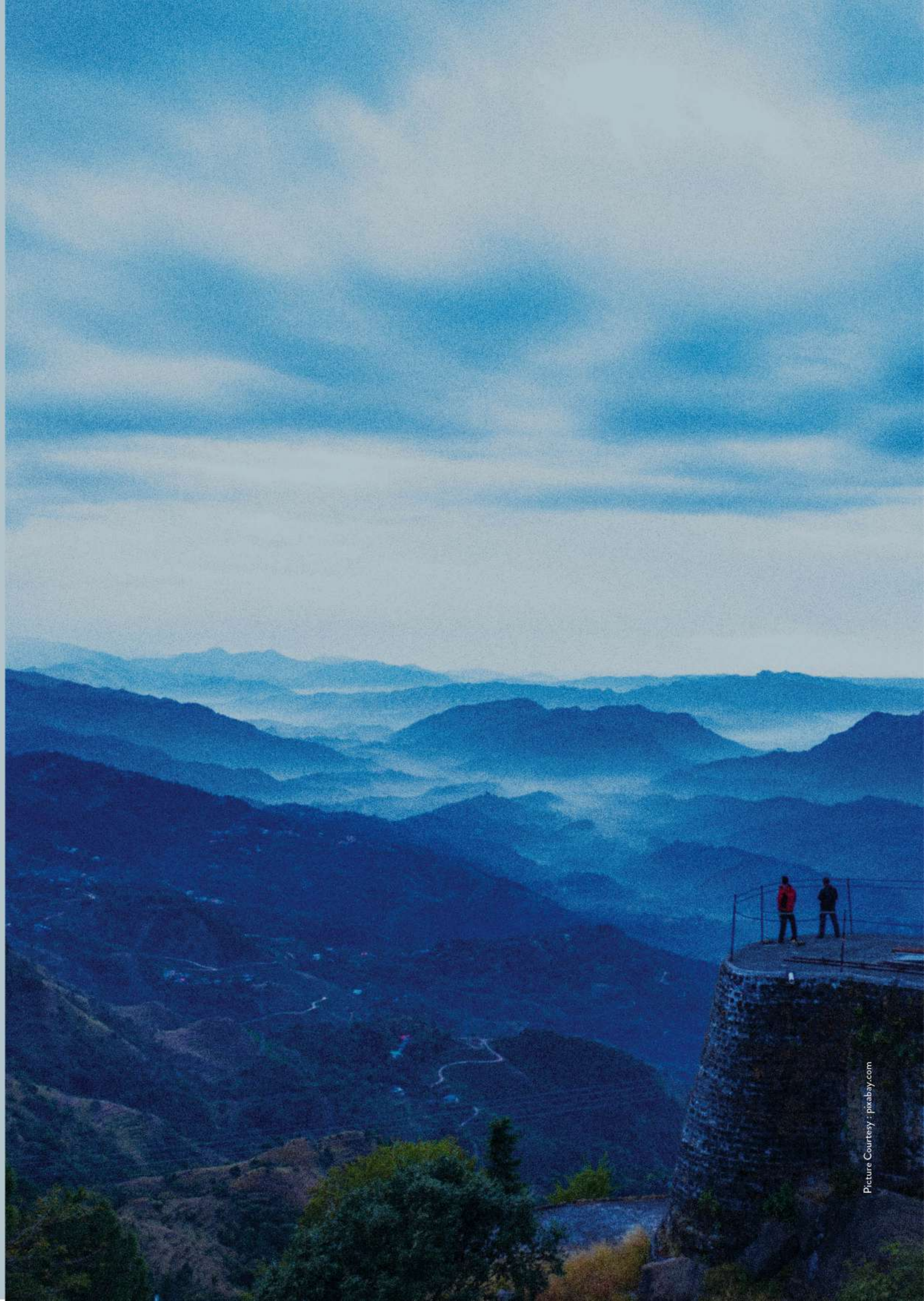

भाग-1

Government of Himachal Pradesh
Forest Department

No. FFE-B-A (10)-1/2009 18 Dated Shimla-2, the 18-09-2018

Notification

In supersession of all previous Notification Nos. Fts (F)6-7/82-Loose, Fts-B(B)-6-7/82-II, FFE-B-A(10)-2005 and FFE.B-A(10)-1/2009 dated 09.04.1996, 27.08.2001, 20.07.2006 and 04.03.2014 regarding relief due to losses caused to human beings and domestic livestock by the Wild animals as defined in Wildlife (Protection) Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following enhanced relief rates as under:-

S.No	Particulars	Enhanced Rates (in Rupees)
1.	In case of death of human being.	4,00,000/-
2.	In case of permanent disability to human being.	2,00,000/-
3.	In case of grievous injuries/partial disability to human being.	75,000/-
4.	In case of simple injury to human being as per actual cost of medical treatment subject to maximum.	15,000/-
5.	In case of loss of Horse, Mule, Buffalo, Ox, Yak and Camel	30,000/-
6.	In case of loss of Cow Jersey and cross breed.	15,000/-
7.	In case of loss of Cow (local breed), Donkey, Churu, Churi & Pashmina Goat.	6,000/-
8.	In case of loss of Sheep, Goat and Pig.	3,000/-
9.	In case of loss of young ones of Buffalo, Cow Jersey and all other breeds, Mule, Yak, Horse, Camel, Churu, Churi, Donkey, Pashimna Goat, Sheep and Goat.	15,00/-

The following guidelines will be followed for grant of relief:-

i) Production of postmortem report in case of loss of human life, certificate in case of grievous injury, partial & permanent disability and prescription slip as well as verification of actual cost of Medical treatment in case of simple injury (including Monkey bites) from the Medical officer of a Government Institution/Govt. recognized Medical Institution, as the case may be.

ii) The verification of loss of cattle that was actually caused by wild animal can be done by the Pradhan/Up Pradhan of Panchayat/Patwari/President Notified Area Committee/ Chairman, Municipal Committee, Commissioner/ Mayor/Deputy Mayor, Municipal Corporation of the area/Elected Member of the Cantonment Board area/Councilor of the area, Range Officer/Deputy Ranger/Forest Guard or any other forest officer higher in rank than a Range Officer, Veterinary Officer or Veterinary Pharmacist or officer authorized by Veterinary officer of the area.

iii) All DFOs in HP shall be the final authority to sanction all cases of relief claims on account of losses caused by the wild animals to humans and domestic livestock.

iv) The DFOs shall release 25% of the amount of relief prescribed for human loss/permanent & partial disability/grievous injury on receipt of report as interim relief immediately to the family of the deceased/affected person after due verification in anticipation of formal sanction without delay. The balance amount will be released after receipt of the complete relief claim.

v) For immediate disbursement of relief claim, a corpus fund will be created at the level of Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)-cum Chief Wildlife Warden. All the budget allocations from the state as well as from State CAMPA in respect of relief shall be deposited in the aforesaid corpus fund. The PCCF (WL) will ensure the disbursement of relief amount in respect of aforesaid categories of losses on the same day on receipt of a request from the concerned DFO. The DFO concerned will ensure to send such requests by E-mail/ Fax asking for funds of relief amount on the same day of incident or on the day of receipt of information of the incident from the claimant. DFO will make payment of aforesaid 25% of the relief amount immediately from the budget available with him under any scheme and same will be recouped on receipt of funds from the Chief Wildlife Warden.

vi) All claims in respect of simple injury to humans shall be restricted to actual cost of medical treatment verified by the Medical Officer of a Government Institution/Govt. recognized Medical Institution subject to maximum of Rupees 15,000/- as prescribed above in the categories of losses.

vii) All cases of losses caused by the wild animals should be reported by the applicant to the nearest Forest Office within seven days of the incident and claims for relief is filed within one month to the nearest Range Forest Office under control of Divisional Forest Officer (territorial or wildlife). The claim can be filed either at the place where the loss by wild animal has occurred/reported or where the applicant resides. All time barred cases shall be sent to Govt. of Himachal Pradesh for approval.

viii) The relief will be granted in case of loss of livestock to the owner of the livestock. These rates would be applicable for killing of domestic animals by wild animals as defined in Wildlife (Protection) Act, 1972 in cattlesheds/cowsheds, private land, private premises and forests.

ix) The relief in case of loss of the human being will be granted in the order of preference given below:-

(a) Wife or husband, as the case may be.
(b) Sons, unmarried or divorced daughters and children of predeceased son (equal share).
(c) Daughters. (equal share).
(d) Grand Children being children of his/her sons or daughters who died before him/her (equal share).
(e) Father or Mother.
(f) Brothers or sisters or children of the deceased brothers (equal share).
(g) Failing all above any other next of kin entitled to a share in the estate.

All the prescribed rates shall be made applicable with immediate effect.

By Order,

Tarun Kapoor
Additional Chief Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated Shimla-2 the 18th Sept., ~~August~~, 2018

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries /Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, (HoFF) HP Shimla-1.
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) HP Shimla-1.
6. APCCFs (IT), CCFs/DFOs (Territorial & Wildlife).
7. Controller, HP Printing Press, Shimla for publication in H.P., Rajpatra.
8. Guard file.

(Sat Pal Dhiman) 18-9-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph.No. 0177-2621874

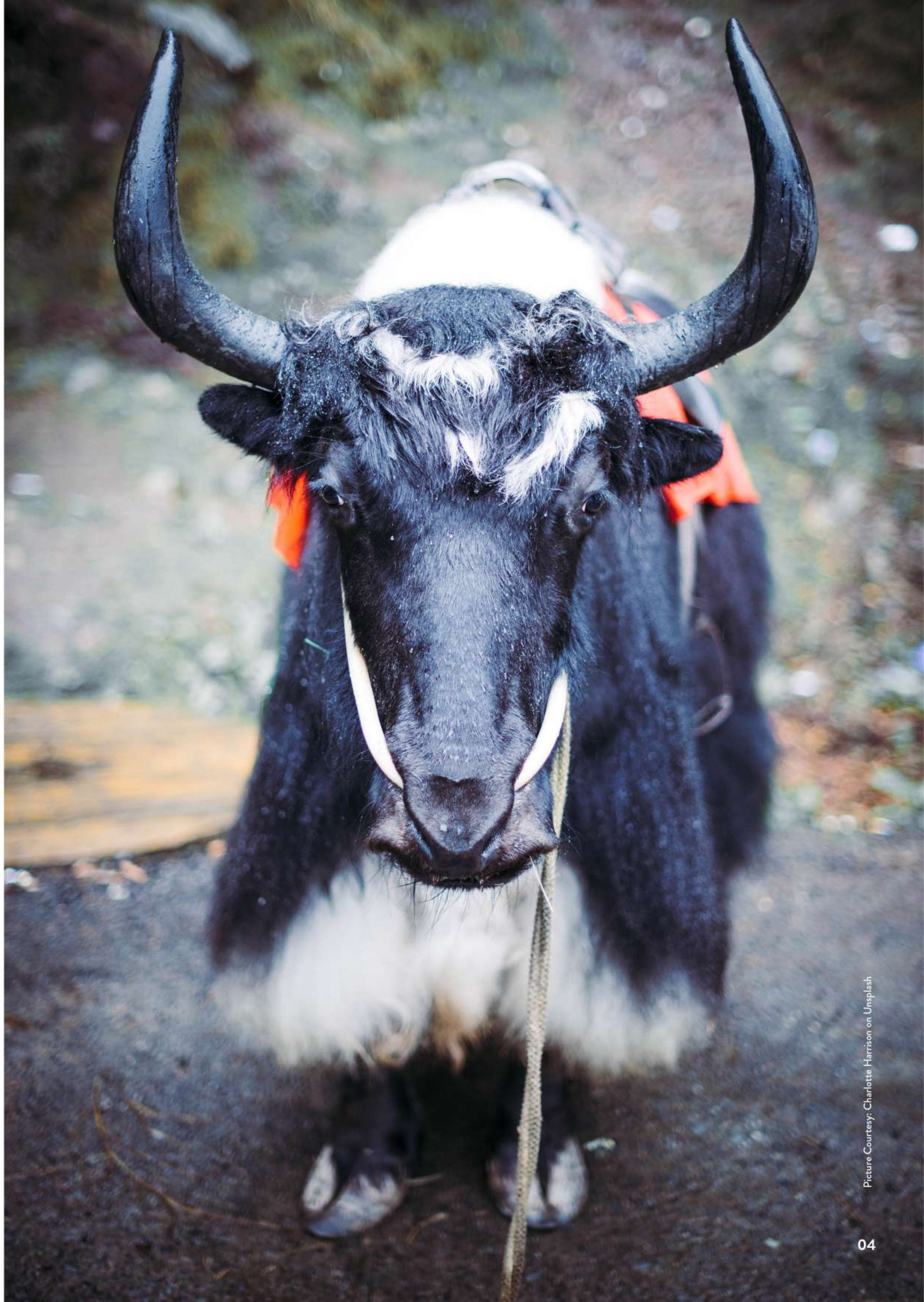

Picture Courtesy: Charlotte Harrison on Unsplash

व्यक्तियों पर हमला

यदि व्यक्तियों पर जंगली जानवरों के हमले से चोट, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु हो जाती है, तो हिमाचल प्रदेश वन विभाग से राहत पाने संबंधी कदम।

स्थिति-कः यदि किसी जंगली जानवर के हमले में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है।

पहला कदमः मृतक के परिवार द्वारा इस हादसे के बारे में सात दिन के अन्दर वन विभाग को खबर दी जानी चाहिए। वन विभाग को 30 दिन के अंदर आवेदन* पत्र दिया जाना चाहिए।

दूसरा कदमः किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मैडिकल संस्थान के मैडिकल ऑफिसर द्वारा पोस्टमॉर्टम किया जाना चाहिए। (टिप्पणी 2 देखे)

तीसरा कदमः ये दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) को सौपें।

- मैडिकल ऑफिसर की मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- वन विभाग को आवेदन

चौथा कदमः उपरोक्त दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) के पास जमा कराने से पहले, लाभ प्राप्तकर्ता (टिप्पणी 1 देखें) को सभी दस्तावेजों की प्रति, जमा कराने के सबूत के रेकॉर्ड के रूप में अपने पास रखनी चाहिए। आप इनकी फोटोकॉपी रख सकते हैं या अपने फोन कैमरा से दस्तावेजों की तस्वीर भी ले सकते हैं।

स्थिति-खः यदि व्यक्तियों पर जंगली जानवरों के हमले से उन्हें सम्पूर्ण/आंशिक अक्षमता हो जाती है या गंभीर चोट आती है।

पहला कदमः इस घटना के बारे में 7 दिन के अंदर हमले के शिकार व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा वन विभाग को सूचित करना चाहिए। 30 दिन के अंदर वन विभाग को आवेदन दिया जाना चाहिए।

दूसरा कदमः चोट के विवरणों और कारणों के बारे में बताते, किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैडिकल संस्थानों के मैडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र/रिपोर्ट ली जानी चाहिए। (टिप्पणी 2 देखें)

तीसरा कदमः ये दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) को सौपें।

- मैडिकल ऑफिसर की मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- वन विभाग को आवेदन

चौथा कदमः उपरोक्त दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) के पास जमा कराने से पहले, लाभ प्राप्तकर्ता को सभी दस्तावेजों की प्रति, जमा कराने के सबूत के रेकॉर्ड के रूप में अपने पास रखनी चाहिए। आप इनकी फोटोकॉपी रख सकते हैं या अपने फोन कैमरा से दस्तावेजों की तस्वीर भी ले सकते हैं।

स्थिति-गः यदि किसी जंगली जानवर द्वारा किसी व्यक्ति पर हुए हमले में उसे मामूली चोट आती है।

पहला कदमः इस घटना के बारे में 7 दिन के अंदर हमले के शिकार व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा वन विभाग को सूचित करना चाहिए। 30 दिन के अंदर वन विभाग को आवेदन दिया जाना चाहिए।

दूसरा कदमः चोट के विवरणों और कारणों के बारे में बताते किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैडिकल संस्थानों के मैडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र/रिपोर्ट ली जानी चाहिए।

तीसरा कदमः मैडिकल अधिकारी से एक प्रैस्क्रिप्शन स्लिप लें, और इलाज पर आए कुल वास्तविक खर्च की पुष्टि कराएं। वास्तविक खर्च की पुष्टि मैडिकल बिलों पर मैडिकल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के जरिये की जा सकती है।

चौथा कदमः ये सभी दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) के पास जमा कराएं।

- मैडिकल ऑफिसर का मूल मैडिकल सर्टिफिकेट/रिपोर्ट
- मैडिकल ऑफिसर की मूल प्रैस्क्रिप्शन स्लिप/स्लिपें
- मैडिकल ऑफिसर द्वारा पुष्टित असली बिल
- वन विभाग को आवेदन पत्र (प्रपत्र 1)

पांचवा कदमः इन उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने से पहले आप अपने पास रेकॉर्ड के लिए इन सभी की एक प्रति सबूत के तौर पर रख लें। आप इनकी फोटोकॉपी करा सकते हैं या फोन कैमरा से भी तस्वीरें ले सकते हैं।

राहत दरें

दिनांक 18/08/2018 की अधिसूचना संख्या FFE-B-A (10)-1/2009 के मुताबिक, यदि हिमाचलप्रदेश वन विभाग के क्षेत्र में किसी व्यक्ति पर हमला होता है तो राहत संबंधी नियम इस प्रकार होंगे।

क्रम सं.	विवरण	राहत राशि(₹)
1	किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर	₹ 4,00,000/-
2	किसी व्यक्ति के स्थायी रूप से अक्षम होने पर	₹ 2,00,000/-
3	किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने/आंशिक अक्षमता होने पर	₹ 75,000/-
4	कसी व्यक्ति की मामूली चोट लगने पर वास्तविक मैडिकल बिल की अधिकतम राशि	₹ 15,000/-

टिप्पणी

1. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राहत राशि उस परिवार के सदस्य को निम्न क्रम में दी जाएगीः

- पत्नी/पति जैसी भी स्थिति हो, अथवा
- बेटे, अविवाहित या तलाकशुदा बेटियों या पहले ही मर चुके बेटे के बच्चों को (बराबर हिस्सा)
- बेटी (समान हिस्सा)
- मृतक के ऐसे बेटे/बेटी की संतानें जो मृतक से पहले ही मर चुके हों। (समान हिस्सा)
- पिता या मां
- भाई या बहन या मृत भाई के बच्चे (समान हिस्सा)
- अगर इनमें से कोई भी न हो, तो सम्पत्ति में हिस्सा पाने का कोई भी अधिकारी, जो मृतक का निकट का रिश्तेदार हो।

2. दावे के लिए निम्न प्रकार के संस्थान मैडिकल सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द (PHC)
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द (CHC)
- उप केन्द्र (SC)
- सिविल हस्पताल/जनरल हस्पताल/सामान्य हस्पताल
- मैडिकल कॉलेज हस्पताल
- जिला हस्पताल
- उप–जिला हस्पताल
- महिला हस्पताल

3. मामूली चोटों के मामले में पेश दावे मैडिकल ऑफिसर द्वारा पुष्टित इलाज पर आए असली खर्च तक ही सीमित होंगे, और इनकी अधिकतम सीमा 15 हजार रूपए होगी।

4. दावे, दुर्घटना वाली जगह पर या जहां आवेदक रहता हो, वहां दाखिल किए जा सकते हैं।

5. नीति के तहत राहत राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत दिया जा सकता है, डीएफओ दस्तावेजों की जांच–पड़ताल करके इस राशि को जारी कर सकता है। ये राहत राशि आप तक 2 हफ्ते से एक महीने के बीच पहुंच जाएगी। बाकी राहत राशि मिलने में कुछ महीने का समय लग सकता है।

मवेशियों पर हमला

यदि भिन्न अवस्थाओं में मवेशियों का शिकार होता है तो हिमाचलप्रदेश वन विभाग से राहत राशि पाने संबंधी प्रक्रिया।

स्थिति-कः किसी मवेशी को निजि भूमि/परिसर में मारा गया है और जानवर की लाश जांच-पड़ताल के लिए, और बतौर सबूत उपलब्ध है।

पहला कदमः फौरन बीट के फॉरेस्ट गार्ड इनचार्ज या रेंज ऑफिसर या किसी रेंज ऑफिसर से बड़े रैंक के किसी अन्य फॉरेस्ट ऑफिसर और स्थानीय पशु चिकित्सक को फौरन सूचित करें। अगर पशु चिकित्सक उपलब्ध न हो, तो ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जा सकता है। (ऐसा सात दिन में अवश्य किया जाना चाहिए)

दूसरा कदमः जानवर/जानवरों की तस्वीर उसके मालिक के साथ ली जाए, बेहतर होगा कि ये तस्वीर फॉरेस्ट गार्ड, पशु चिकित्सक और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ली जाए।

तीसरा कदमः मृत्यु प्रमाण पत्र पर पशु चिकित्सक/प्रधान/उप प्रधान/फॉरेस्ट गार्ड या रेंज ऑफिसर के दस्तखत कराए जाएं।

चौथा कदमः आवेदन वन विभाग को सौंपा जाए। आवेदन पर तिथि वाली मुहर लगवाई जाए।

पांचवा कदमः ये दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) के पास जमा कराए जाएं।

- मारे गए जीव की तस्वीर उसके मालिक के साथ
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- वन विभाग को आवेदन

छठा कदमः वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) को ये सब दस्तावेज सौंपने से पहले, अपने आवेदन को जमा कराने के सबूत के तौर पर सभी दस्तावेजों की एक प्रति अपने रेकॉर्ड के लिए रख लें। आप या तो इनकी फोटोकॉपी करा सकते हैं या फोन कैमरा से दस्तावेजों की तस्वीर खींच सकते हैं।

स्थिति-खः मवेशी सामान्य भू क्षेत्र या वन में मारा गया है और उसकी लाश जांच-पड़ताल के लिए और सबूत के तौर पर उपलब्ध है।

(उपरोक्त प्रक्रिया ही दोहराई जाए)

स्थिति-गः मवेशी सामान्य भूक्षेत्र/सार्वजनिक जगह या वन में मारा गया है और उसकी लाश जांच-पड़ताल के लिए या सबूत के तौर पर उपलब्ध नहीं है।

ऐसे मामले में वन विभाग द्वारा राहत मुहैया कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राहत राशि पाने के लिए सबूत का होना जरूरी है।

अगर जंगल में मवेशी पर हमला होता है, तो इस बात की आशंका है कि इसकी लाश फौरन न ढूंढी जा सके। राहत पाने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए ऐसे में तुरंत ऐसे हादसे की सूचना फॉरेस्ट गार्ड को दी जानी चाहिए।

हादसे के 2–3 दिन बाद इसी इलाके की फिर छानबीन करें। हो सकता है कि आपको मवेशी की लाश का कोई हिस्सा मिल जाए। इस हिस्से को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके राहत राशि के लिए दावा दायर किया जा सकता है।

राहत दरें

दिनांक 18/08/2018 की अधिसूचना संख्या FFE-B-A (10)-1/2009 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तहत, किसी मवेशी के मारे जाने की हालत में राहत की निम्न दरें लागू होंगीः

क्रम सं.	विवरण	राहत राशि (₹)
1	घोड़े, खच्चर, बैल, याक और ऊंट की मौत के मामले में	₹ 30,000/-
2	जर्सी और क्रॉस ब्रीड गाय के मामले में	₹ 15,000/-
3	गाय (स्थानीय नस्ल) गधे, चुरू, चुरी और पश्मीना बकरी की मौत के मामले में	₹ 6,000/-
4	भेड़, बकरी, सुअर की मौत के मामले में	₹ 3,000/-
5	इन सभी जानवरों के बच्चों की मौत के मामले में (भैंस, जर्सी गाय और अन्य नस्लें, खच्चर, याक, घोड़ा, ऊंट, चुरू, चुरी, गधा, पश्मीना बकरी, भेड़ और बकरी)	₹ 1,500/-

वन विभाग द्वारा मूल अधिसूचना दस्तावेज़ के अंत में पाई जा सकती है।

टिप्पणी

1. राहत राशि का दावा जानवर का मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य दाखिल कर सकता है। राहत राशि मवेशी के मालिक को दी जाएगी।
2. राहत राशि के बारे में आवेदक को, हादसे के 7 दिन के अंदर सबसे नजदीकी फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचित करना चाहिए। राहत राशि के लिए दावा हादसे के 30 दिन के अंदर दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
3. दावा या तो हादसे वाली जगह पर या जहां आवेदक रहता हो, वहां दायर किया जा सकता है।
4. राहत के लिए दावा तभी वैध होगा अगर हादसा मवेशियों के बाड़े में/गाय के बाड़े में या निजि भूमि/निजि परिसर या चरागाहों/जंगलों में किसी सार्वजनिक जगह पर हुआ हो।
5. मवेशी को जंगली जानवर ने मारा था, इस बात की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रपत्र 3) को इन व्यक्तियों में से कोई भी एक जारी कर सकता हैः
   - पंचायत का प्रधान/उपप्रधान/पटवारी/अधिसूचित क्षेत्र समिति का अध्यक्ष/नगरपालिका समिति का चेयरमैन
   - कमिश्नर/मेयर/डिप्टी मेयर/क्षेत्र का नगर निगम/कैन्टोनमैंट बोर्ड इलाके का निर्वाचित सदस्य/उस क्षेत्र का काउंसलर
   - रेंज ऑफिसर/डिप्टी रेंज ऑफिसर/फॉरेस्ट गार्ड या अन्य कोई फॉरेस्ट ऑफिसर जो रुतबे में रेंज ऑफिसर से बड़ा हो।
   - टपशु (चिकित्सक) अधिकारी/पशु फार्मासिस्ट या उस क्षेत्र के पशु अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
6. मवेशी के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफ.आई.आर (**FIR**) की जरूरत नहीं होती।
7. यदि जंगली जानवर के हमले में घायल मवेशी की बाद में मौत हो जाती है तो ऐसे जानवर की मौत के 7 दिन के अंदर एक नया प्रपत्र 2 भरना होगा, और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं दोबारा दोहरानी होंगी।
8. कृपया ध्यान रखें कि सही दावे ही दायर करें, झूठे दावों से असली दावे वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं।
9. वन विभाग केवल जंगली जीवों द्वारा मारे गए मवेशियों के दावों को ही स्वीकार करता है। अगर बीमारी या दुर्घटना (पुष्टि आवश्यक है) के कारण जानवर मारा जाता है तो ये राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
10. राजस्व विभाग भी मवेशियों के मारे जाने के मामले में मुआवज़ा देता है। लेकिन ऐसा दावा या तो वन विभाग अथवा राजस्व विभाग के पास ही दायर किया जा सकता है, दोनों के पास नहीं।

Picture Courtesy: Daniel Burka on Unsplash

No. FFE-B-A (10)1/2018
Government of Himachal Pradesh,
Department of Forests-B Section

From

Additional Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

To

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Himachal Pradesh, Shimla-02

2. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)
Himachal Pradesh, Shimla-02

Dated: Shimla-2, the 26 February, 2020

Subject: Submission of report regarding simplification of Forest Department Procedure.

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter No. WLM/Human Animal Conflict/ 3274 dated 25.07.2019 on the subject cited above and to enclose herewith Proforma/ reporting formats I & II for seeking relief amount due to losses caused by Wild Animals on human beings and domestic livestock duly approved for taking further necessary action.

You are, requested to circulate the same to all field functionaries under your control and give it wide publicity for benefit of general public. These formats may also be uploaded on Departmental website.

Yours faithfully,

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2020
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph.No 0177-2621874

Pr. CCF (WL) HP
Dy. No. 7781
Dated 29/2/2020

Supdt. WLM

Pr. CCF
28/2/2020

Endst. No.Human Animal Conflict/Vol. IV/ 9295-9306 Dated 3/3/2020

1. Copy alongwith its enclosures is forwarded to All CFs/CCFs (WL & T) in HP for information and necessary action. They are requested to circulate the same to all field functionaries under their control.

2. Copy alongwith its enclosures is forwarded to DFO (Publicity) for information and wide publicity for the benefit of general public.

3. Copy alongwith its enclosure is forwarded to CCF (IT, GIS &MIS) office of Pr. CCF (HoFF) HP for information and necessary action. He is requested to upload these formats on the departmental website.

Pr. CCF (Wildlife) HP

2/3/20

***Reporting Format for Seeking Relief amount due to losses caused by Wild Animals on Human beings* (information to be supplied by the applicant)**

1. Name of sufferer:
2. Age:
3. Son/Daughter/Wife of:
4. Place of Attack:
   (Village, Tehsil, District)
5. Permanent address :
6. Date/Time of attack by Wild animals:
7. How was the attack by the wild animal confirmed: **(Postmortem/Medical Report issued by Medical Officer)*
8. Date of giving information by the applicant to the concerned Forest Officer:

Signature of the victim/informer
Village & P.O.
Tehsil.
District.

Note: **Production of postmortem report in case of loss of human life, certificate in case of grievous injury, partial & permanent disability and prescription slip as well as verification of actual cost of Medical treatment in case of simple injury (including Monkey bites) from the Medical officer of a Government Institution/Govt. recognized Medical Institution, as the case may be.*

Reporting Format for Seeking Relief amount due to losses caused by Wild Animals on Human beings (Information to be supplied by the concerned Forest Officer to Wildlife Warden of the area)

1. Name of Division:
2. Range:
3. Block:
4. Beat:
5. Dev. Block/Tehsil:
6. Attack by which Wild Animal:
7. Date & Time of attack:
8. Location:

Village:

(i) Name of Village

(ii) Distance from the nearest forest

Forest:

(i) Name of Forest:

(ii) Distance from the nearest habitation:

9. **Information relating to the Victim:**

(i) Name of Victim:

(ii) Age of Victim:

(iii) Male/Female:

(iv) What was the victim doing when attacked?

(v) State of health/ Physical fitness:

10. Direction of attack: (a) Front/Behind/Side./Other.
11. Was body dragged from the site of attack?
12. Distance dragged
13. Body eaten:
14. Portion eaten:
15. How was the attack by the wild animal confirmed? **(Postmortem/Medical Report issued by Medical Officer)*
16. Details of pugmarks taken on spot:

i). Length of pugmark:

ii) Width of pugmark:

iii) Tracing of pugmark:

Signature

(Name of Forest Guard)
I/C of the area)

Signature

(Name of Block Officer)
I/C Block

Signature:
(Name of Range Forest Officer)
I/C of the Range

Reporting Format for Seeking Relief amount due to losses caused to domestic livestock by the wild animals (information to be supplied by the concerned Forest Officer to Wildlife Warden of the area)

1. Name of Division:
2. Range:
3. Block:
4. Beat:
5. Village.
6. Name of the Development Block/Tehsil:
7. Attack by which Wild Animal on domestic livestock:
8. Date & Time of attack:
9. Location:

Village:

(i) In Cowshed:

(ii) In Farm:

(iii) Distance from the nearest forest:

Forest.

(i) Name of Forests:

(ii) Distance from the nearest habitation:

10. Was body of killed domestic livestock dragged from the site of attack?
11. Distance dragged:
12. Body eaten:
13. Portion eaten:
14. How was the attack by the wild animal confirmed? **(Death certificate furnished by the designated authority)*
16. Details of pugmarks taken on spot:

i). Length of pugmark:
ii) Width of pugmark:
iii) Tracing of pugmark:

Signature

(Name of Forest Guard)
I/C of the area)

Signature

(Name of Block Officer)
I/C Block

Signature
(Name of Range Forest Officer)
I/C of the Range

Reporting Format for Seeking Relief amount due to losses caused to domestic livestock by the wild animals (information to be supplied by the applicant)

1. Name of owner of domestic livestock:
2. Son/Daughter/Wife of:
3. Permanent address :
4. Place of occurrence: (Cow shed/farm or in forest area)
5. Date and time of the attack by Wild animals on livestock:
6. Details of domestic livestock killed by Wild animal:
7. How was the attack by the wild animal on live stock: *(Death certificate furnished by the designated authority)*
8. Date of giving information by the applicant to the concerned Forest Officer:

Signature of the Owner
Village & P.O.
Tehsil.
District.

Note: **The verification of loss of cattle that was actually caused by wild animal can be done by the Pradhan/Up Pradhan of Panchayat/Patwari/President Notified Area Committee/ Chairman, Municipal Committee, Commissioner/ Mayor/Deputy Mayor, Municipal Corporation of the area/Elected Member of the Cantonment Board area/Councilor of the area, Range Officer/Deputy Ranger/Forest Guard or any other forest officer higher in rank than a Range Officer, Veterinary Officer or Veterinary Pharmacist or officer authorized by Veterinary officer of the area.*

मृत्यु प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि__________की संख्या____________________से संबंधित_________________________

s/o____________________ग्राम पोस्ट ऑफिसे_____________________तहसील_____________________

जिला___________________ मवेशी मारे गए हैं।_____________________ दिनांक___________________ को

________________________बजे_____________________ स्थान पर (घटना का स्थान)।

अधोहस्ताक्षरी ने_____________________तारीख को इस जगह का मुआयना किया और पाया कि_____________

शव /____________सिर /____________ रंग की________________ खालें वहां पड़ी हुई थीं। मैं ये पुष्टि करता

हूं कि_______________________________ने इन लाशों को पूरी तरह खा लिया / इन जीवों को मार डाला था।

मवेशियों के मालिक के अनुसार, मरने वाले जीवों की उम्र थी:

1 - 3 साल / 3 - 7 साल / 7+ साल से अधिक और उनमें __________ नर और __________ मादाएं थी।

स्थान : _____________________________

तिथि : _____________________________

____
हस्ताक्षर और पद

टिप्पणी : ये मृत्यु प्रमाण पत्र अग्रलिखित द्वारा जारी किया जा सकता है: पंचायत का प्रधान / उपप्रधान / पटवारी / अधिसूचित क्षेत्र / समिति का अध्यक्ष / नगरपालिका समिति का चेयरमैन / कमिश्नर / मेयर / डिप्टी मेयर / क्षेत्र का नगर निगम / कैन्टोनमैंट बोर्ड इलाके का निवार्चित सदस्य / उस क्षेत्र का काउंसलर / रेंज ऑफिसर / डिप्टी रेंज ऑफिसर / फॉरेस्ट गार्ड या अन्य कोई फॉरेस्ट ऑफिसर जो रूतबे में रेंज ऑफिसर से बड़ा हो / पशु चिकित्सक अधिकारी / पशु फार्मासिस्ट या उस क्षेत्र के पशु अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।

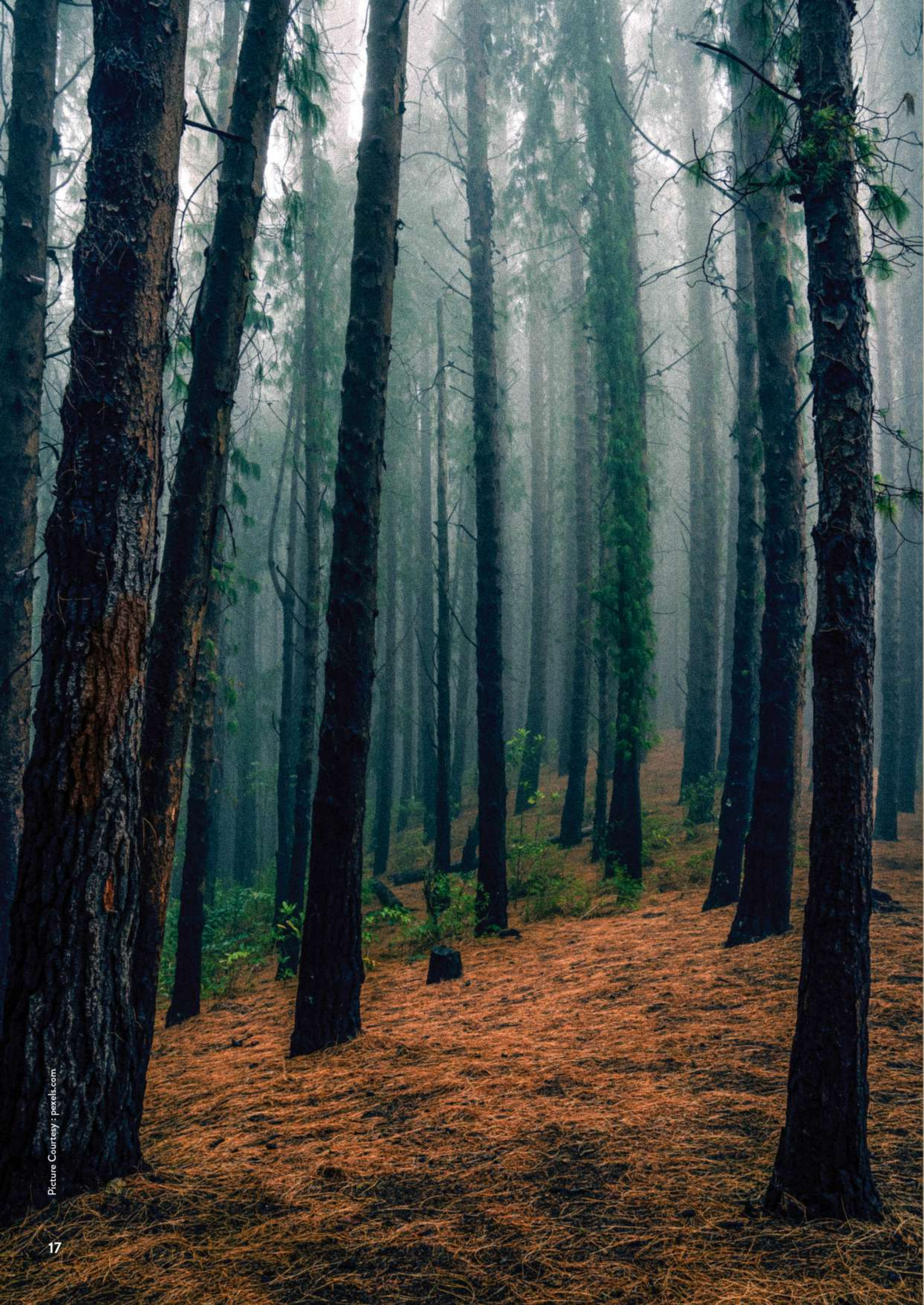

भाग-2

वन या बहुत अधिक पेड़–पौधों वाले क्षेत्रों से गुजरते समय अपनाये जाने योग्य सुरक्षा नियम और दिशा निर्देश, ताकि किसी वन्य जीव से आपकी अचानक और अप्रिय मुठभेड़ न हो जाए।

1. हमेशा समूहों में सफर करें। शोर मचाते रहें, गाते रहें या जोर से बातें करते रहें। हमेशा जानवरों को अपनी उपस्थिति के बारे में अवगत रखें।
2. अगर अकेले यात्रा कर रहें हो तो सुनिश्चित करें कि आप कोई न कोई ध्वनि पैदा करते रहें या अपने फोन पर म्यूजिक बजाते रहें।
3. हमेशा अपने साथ एक छड़ी रखें।
4. यदि जंगल में कैम्पिंग कर रहे हो तो हमेशा अपने कैम्प को साफ रखें। गंध और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। अपनी कैम्प वाली जगह से दूर खाना पकाएं। बचा हुआ खाना आग में पूरी तरह जला दें, और बाकी सामान बक्सों में पैक कर दें। खाने की सभी चीजें अपनी कैम्पसाइट से दूर रखें।
5. अंधेरा होने के बाद बच्चों को कैम्प में ही रखें, क्योंकि वे आसान शिकार बन सकते हैं।
6. ट्रैकिंग के दौरान, छोटे बच्चों को पीछे न छोड़ें। या तो उन्हें गोद में उठा लें या उन्हें अपने साथ चलने को कहें।
7. पालतू कुत्तों को जंगल में न ले जाएं। उनकी वजह से तेंदुए और भालू जैसे जंगली जानवर आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं।
8. जहां तक संभव हो, घनी झाड़ियों वगैरह से दूर ही रहें। अगर इलाके या पेड़–पौधों की वजह से दूर तक दिखाई न दें, तो ज्यादा शोर मचाएं।
9. जिन जगहों में जानवरों के पिंजर पड़े हों, वहां से दूर ही रहें। हो सकता है कोई शिकारी जीव वहां मंडरा रहा हो।
10. अगर कोई जंगली जीव पास ही हो तो उसके साथ फोटो, वीडियो या सैल्फी लेने की कोशिश न करें। जानवर पर हमेशा नजर रखें। अगर आप फोटो या वीडियो लेते भी हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके और जानवर के बीच कुछेक सौ मीटर की दूरी हो।
11. हर जीव का अपना एक इलाका होता है, अगर उसमे हस्तक्षेप किया जाता है तो जानवर खतरा महसूस करता है। तो अगर आप उसके इलाके में दाखिल होंगे तो वह आप पर हमला कर सकता है।
12. मादा वन्य जीवों से तो और भी ज्यादा दूर रहें। मादाएं बड़े आक्रामक ढंग से अपने बच्चों की रक्षा करती है, और अगर उन्हें अपने बच्चों के लिए खतरे का आभास होता है तो वे आप पर हमला कर सकती हैं।
13. जंगली जानवरों को कुछ न खिलाएं। इससे वे इंसानों और आहार को आपस में जोड़ कर देखने लगते हैं, और आप पर खतरे की आशंका बढ़ सकती है।
14. अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है, जिसे छोटी–मोटी चोटें लगी हों, या जिसे मामूली घाव हों, तो उसे अपने आप स्वस्थ होने दें, उसकी मदद की कोशिश न करें। ज्यादातर छोटी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं, उनकी देखभाल की जरूरत अक्सर नहीं होती।
15. अगर जानवर काफी घायल हो, और उसका ज्यादा खून बह रहा हो, तो फौरन बीट ऑफिसर/फॉरेस्ट गार्ड को सूचित करें। मदद के लिए खुद जानवर के पास जाने की कोशिश न करें। इससे आपके लिए खतरा हो सकता है और जानवर को तनाव हो सकता है। किसी भी जंगली जानवर से हमेशा सुरक्षित दूरी बना कर रखिए।
16. अगर आपको कोई मरा हुआ जंगली जानवर मिलता है तो उसे छुइये नहीं, इसमें विषाणु और जानलेवा वायरस हो सकते हैं। अगर ये जानवर हाल ही में मरा हो तो उस इलाके से फौरन निकल जाएं। हो सकता है कि कोई शिकारी जीव आसपास से उस पर नजर रख रहा हो, और अपने शिकार को बचाने के लिए आप पर हमला कर दे।
17. हमेशा चौकन्ने रहें।
18. अगर बदकिस्मती से आपका सामना किसी वन्य जीव से हो ही जाता है, तो फौरन सबसे नजदीकी किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा अधिकृत मैडिकल संस्थान जाइये और 7 दिन के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर को इसकी जानकारी दीजिए।

अगर इन जीवों से आपका सामना होता है तो इन सुरक्षा संबंधी एहतियातों और दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखें।

एशियाई काला भालू

पहचान : एशियाई काले भालू (उरसस थिबेटानस) को तिब्बती काला भालू भी कहते हैं। हिमालयी काला भालू या मून बेअर, मंझोले आकार, तीखे नाखूनों और काले रंग वाला भालू होता है जिसकी छाती पर सफेद या क्रीम रंग का "V" अक्षर बना होता है।

खुराक : एशियाई काला भालू सब कुछ खा लेता है, इसकी खुराक में फल, बेरी, घास, बीज, गिरियां, अकषेरुकी जीव, शहद और मांस शामिल है। (ये मछलियां, पक्षी, चूहे, अन्य छोटे स्तनधारी जीव और पिंजर भी खा जाता है)

सुरक्षा एहतियात:

1. काले भालू भी इंसानों की ही तरह पगडंडियों और सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। जिन पगडंडियों का ये इस्तेमाल करते हों, उनके नजदीक कैम्प मत लगाइये।
2. कोशिश कीजिए कि उस दिशा में चले जहां से हवा आपकी ओर से आगे की ओर न बह रही हो। भालू आपको देखने या आपकी आवाज सुनने से पहले ही आपकी गंध सूंघ सकते हैं।
3. किसी बड़े पत्थर या चट्टान के पास आते समय सावध ाान रहें, भालू यहां आराम कर रहे हो सकते हैं।
4. अगर भालू के बच्चों से सामना हो जाए, तो फौरन उस जगह से हट जाएं क्योंकि मां आसपास ही हो सकती है।
5. अगर किसी भालू से सामना हो जाए तो वहीं डट कर खड़े रहिए। भागने या पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश न करें।
6. भालू को उकसाएं नहीं। शांति से खड़े रहिए और अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाकर खुद को आकार में बड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए। सामान्य आवाज में बात करते रहिए।
7. भालू पर नजरें बनाए रखते हुए उसके रास्ते से धीरे–ध ाीरे दूर होने की कोशिश कीजिए।
8. अगर भालू अब भी आपकी तरफ आता रहे तो उसे भगाने के लिए बेअर स्प्रे इस्तेमाल करें, जोर से चिल्लाएं और भालू पर पत्थर फेंके। भालू की ओर नजर रखते हुए जल्द से जल्द और दूर से दूर जाने की कोशिश करें। भागें नहीं।
9. अगर भालू आप पर हमला कर दे, तो मरने का नाटक न करें। बल्कि जवाबी हमला करें। अपना सिर बचाएं और जवाबी हमले में पत्थर या डंडियों का इस्तेमाल करें।

Picture Courtesy : wallpaperaccess.com

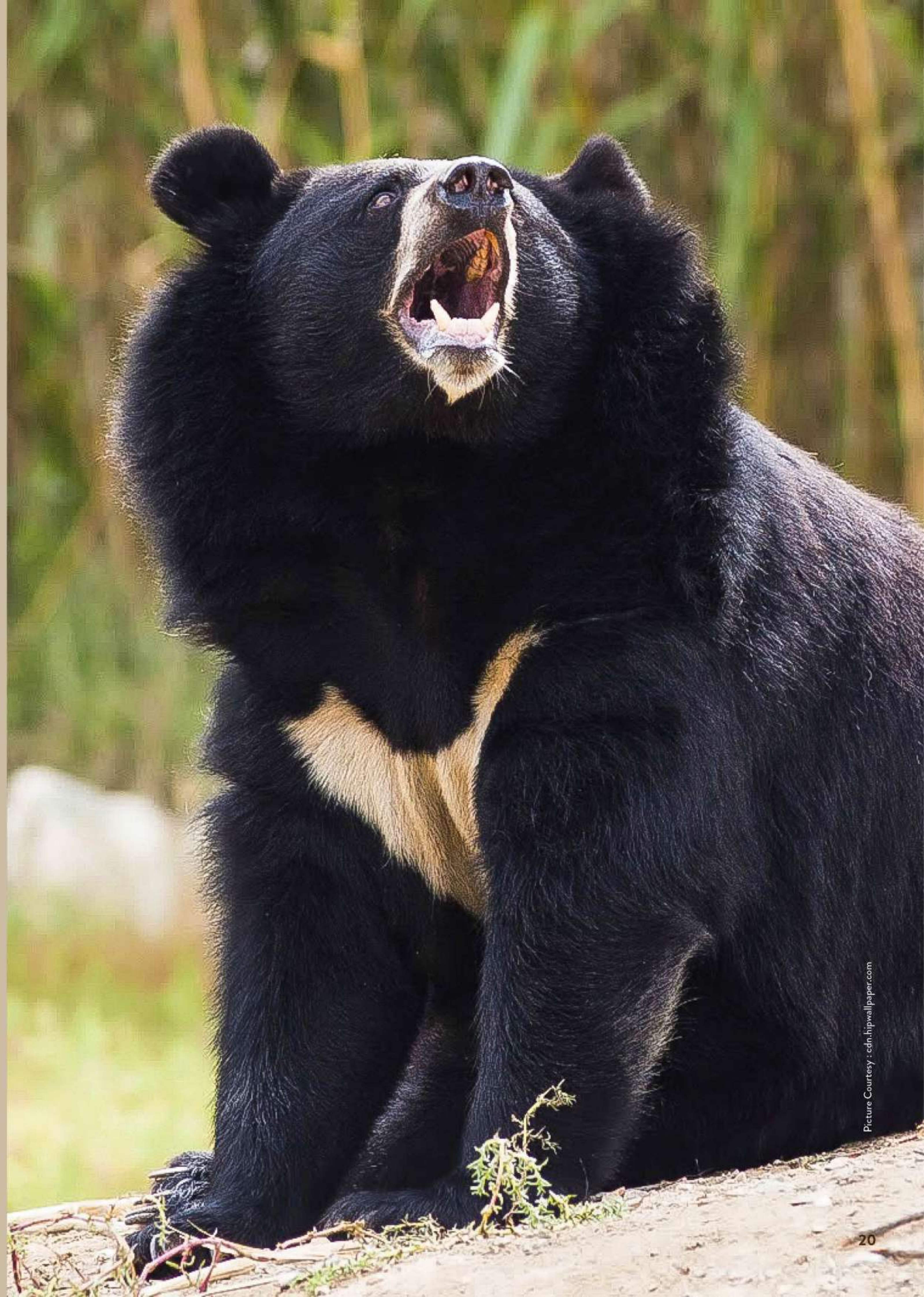
Picture Courtesy : cdn.hipwallpaper.com

Picture Courtesy : pexels.com

हिमालयन ब्राउन बेअर/हिमालयी भूरा भालू

पहचान : हिमालयी भूरे भालू (उरसस आर्कटोज़ इज़ाबैलिनस) की बालों की परत मोटी और कई रंग की होती है जैसे – सुनहरी, बादामी, काली, या इन सभी रंगों वाली। बाहरी और लम्बे बालों में अक्सर सफेद या रूपहली झलक होती है जिससे ये दिखने में कुछ–कुछ सफेद से लगते हैं।

खुराक : ये सभी कुछ खा लेते है और इनकी शाकाहारी खुराक में पौधे के कई हिस्से शामिल हैं, जैसे – बैरी, जड़े, कोपलें, फंगाई और मछलियां, कीड़े, छोटे स्तनधारी जीव, खासकर गिलहरियां। मान्यताओं के विपरीत, भूरे भालू सर्वभक्षी नहीं होते, इनकी खुराक का 90 फीसदी हिस्सा पेड़–पौधों से जुड़ा होता है।

सुरक्षा एहतियात:

1. भूरे भालू भी इंसानों की ही तरह पगडंडियों और सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। जिन पगडंडियों का ये इस्तेमाल करते हों, उनके नजदीक कैम्प मत लगाइये।
2. कोशिश कीजिए कि उस दिशा में चले जहां से हवा आपकी ओर से आगे की ओर न बह रही हो। भालू आपको देखने या आपकी आवाज सुनने से पहले ही आपकी गंध सूंघ सकते हैं।
3. किसी बड़े पत्थर या चट्टान के पास आते समय सावधान रहें, भालू यहां आराम कर रहे हो सकते हैं।
4. अगर भालू के बच्चों से सामना हो जाए, तो फौरन उस जगह से हट जाएं क्योंकि मां आसपास ही हो सकती है।
5. हाल ही में खोदी गई जगहों से दूर रहें। ये इस बात के संकेत हैं कि एक भूरा भालू आसपास ही है या वह इस जगह पर आ चुका है।
6. अगर किसी भूरे भालू से सामना हो जाए तो वहीं डट कर खड़े रहिए। **भागने या पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश न करें।**
7. अगर भालू का व्यवहार आक्रामक लगे, तो इसे भगाने के लिए बेअर स्प्रे इस्तेमाल करें। भालू की ओर मुंह रखते हुए इस जगह से जल्द से जल्द और दूर से दूर जाने की कोशिश करें। **पर भागें नहीं।**
8. अगर भालू हमला कर दे तो कुकून जैसी मुद्रा में लेट जाएं, अपने चेहरे, सिर और पेट को ढंक लें, और **यूं जताएं जैसे आप जिंदा नहीं है।**
9. चुपचाप बिना हिले–डुले और शांति से लेटे रहिए। इससे आप में भालू की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और वह हमला बंद कर देगा।
10. भालू का हमला बंद होने पर भी किसी मृत व्यक्ति की तरह तब तक पड़े रहें, जब तक भालू वह जगह छोड़कर चला न जाए, इसमें 20 से 30 मिनट तक का समय लग सकता है।

Picture Courtesy: pixabay.com

सामान्य तेंदुआ / कॉमन लैपर्ड

पहचान : कॉमन लैपर्ड (पैंथेरा पार्डस) कई तरह के पर्यावासों में रहता है। ये दलदल वाले उष्ण कटिबंधीय जंगलों से लेकर ऊबड़–खाबड़ पहाड़ों तक में आराम से रहते हैं। इन बड़ी बिल्लियों का शरीर लम्बा, सुतवां और मांसल होता है। इनके पंजे चौड़े और कान छोटे होते हैं। ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनके बाल छोटे होते हैं जबकि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में ये बाल ज्यादा लम्बे और घने होते हैं। इनका रंग भी काफी अलग–अलग होता है, ये भुस के रंग से लेकर सुरमई या शाहबलूत जैसा भी हो सकता है।

खुराक : तेंदुआ सब कुछ खाने वाला, मौकापरस्त शिकारी होता है। इसकी खुराक में काफी विविधता होती है, ये चूहे से लेकर हिरण तक को खा जाता है।

सुरक्षा एहतियात:

1. कॉमन लैपर्ड लोगों के सामने आने से बचता है। ऐसी स्थितियों में ये रास्ता बदल लेता है।
2. इसके हमले का डर तभी रहता है अगर इसे इंसानों से कोई खतरा महसूस हो, अगर ये अपने शिकार को खा रहा हो, ये घायल हो, या इसके साथ बच्चे हों।
3. तेंदुए अक्सर शाम ढलने पर ही सक्रिय होते हैं, तो बेहतर होगा कि जंगल या खेतों में अंधेरा होने पर न जाएं।
4. अगर जंगलों या खेतों में अंधेरा होने पर जाना ही पड़े तो या तो समूह में या किसी दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर जाएं। या तो बात करते रहें या मोबाइल फोन पर संगीत बजाते रहें ताकि तेंदुए को ये अंदाजा हो जाए कि कोई उस तरफ आ रहा है, और वह वहां से चला जाए।
5. बच्चों पर तेंदुए के हमले का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अंधेरा हो जाने पर उन्हें घर में ही रखा जाए।
6. जंगल में चलते समय, छोटे बच्चों को पीछे न छोड़ें। या तो उन्हें गोद में उठा लें या उन्हें अपने साथ चलने को कहें।
7. अगर आपको तेंदुए के बच्चे मिलते हैं तो फौरन उस जगह से हट जाएं क्योंकि मां आसपास ही हो सकती है।
8. अपनी जगह डंटे रहें, न तो भागें और न ही अचानक कोई हरकत करें।
9. अगर आपको तेंदुआ तब दिखता है जब आप बैठे हों, तो धीरे–धीरे खड़े हो जाइये ताकि उसे आपका आकार बड़ा दिखे, ऐसे में वह वहां से जाना बेहतर समझेगा।
10. अपने हाथ ऊपर उठाइये या ताली बजाइये और चिल्लाइये ताकि आप ज्यादा बड़े और ताकतवर नजर आएं।
11. इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि तेंदुआ आपसे बचते हुए दूसरे रास्ते पर चला जाएगा।
12. अगर आपको मवेशियों के किसी बाड़े में या अपने मवेशी बाड़े में कोई तेंदुआ दिखता है तो उसके भागने का रास्ता बंद मत कीजिए, उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और शोर मचाइए, ताकि तेंदुआ बाड़े से बाहर चला जाए।
13. अगर आपको तेंदुआ घास के ढेर में दिखता है, तो सुरक्षित दूरी पर जाकर शोर मचाइये। इससे तेंदुए को सुरक्षित जगह भी मिलेगी और भाग जाने का इशारा भी।
14. पालतू कुत्ते, तेंदुए का आसान शिकार होते हैं। रात में कुत्ते को घर के अंदर रखिए ताकि वह सुरक्षित रहे, और तब तेंदुआ भी आपके घर के करीब नहीं आएगा।

Picture Courtesy : unsplash.com

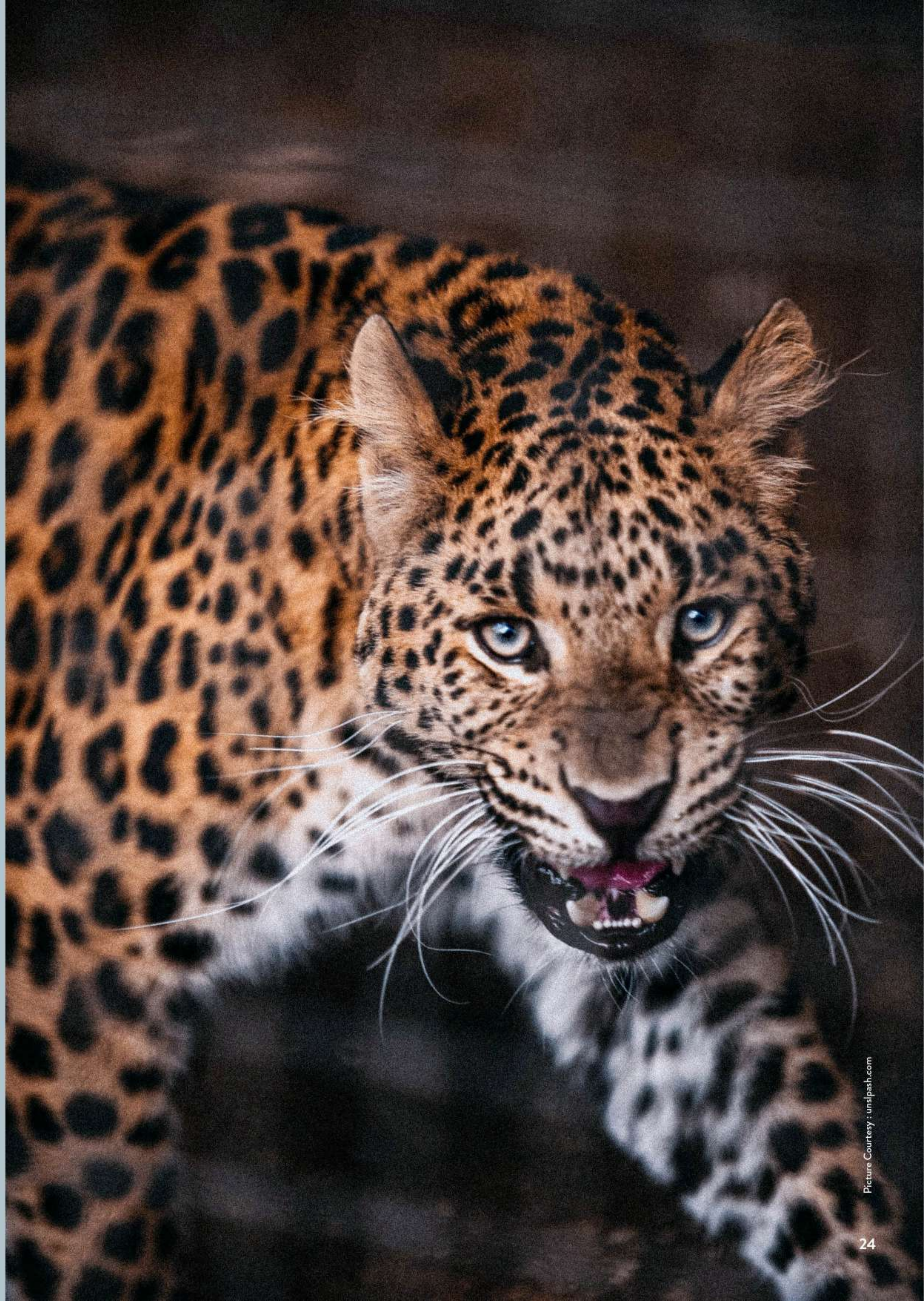

Picture Courtesy : unsplash.com

Picture Courtesy : pixabay.com

स्नो लैपर्ड/हिम तेंदुआ

पहचान : स्नो लैपर्ड (पंथेरा अंसिया) के बाल लम्बे और घने होते हैं, और इनका रंग सुरमई से पीला सा होता है, और शरीर के अंदर वाले हिस्से सफेद से होते हैं। इनके शरीर पर गहरे सुरमई रंग से लेकर काले रंग तक के चकत्ते होते हैं, इसी रंग के चकत्ते इनके सिर पर होते हैं, और इनकी टांगों और पूंछ पर ज्यादा बड़े धब्बे होते हैं। इनकी आंखों का रंग हल्का हरा या सुरमई होता है।

स्नो लैपर्ड ज्यादा एकाकी जीवन बिताता है, हालांकि माएं लम्बे समय तक अपने बच्चों की परवरिश पहाड़ों में मौजूद मांदों में करती हैं।

स्नो लैपर्ड ज्यादातर सुबह और शाम को ही सक्रिय होते हैं। देखा गया है कि ये खुद को काफी छिपा कर रखते हैं और आसानी से नजर नहीं आते।

खुराक : स्नो लैपर्ड सब कुछ खा लेते हैं और सक्रिय रूप से शिकार करते हैं, हालांकि कई विडालवंशियों की तरह ये भी मौकापरस्त जीव हैं, और इन्हें जो भी मिल जाता है, ये उसे खा लेते हैं, और इन चीजों में पिंजर और घरेलू मवेशी भी शामिल हैं। ये अपने आकार से तीन से चार गुना तक बड़े जानवरों को मार सकते हैं, जैसे कि भरल, हिमालयन तार और अरगाली, लेकिन इनकी पसंद खरगोश और परिंदों जैसे छोटे जीव होते हैं।

सुरक्षा एहतियात:

1. स्नो लैपर्ड इन्सानों पर हमला नहीं करते हैं और उनसे बचने की यथासंभव कोशिश करते हैं।
2. लेकिन अगर कोई भी जीव खुद को घिरा हुआ या खतरे में महसूस करे, तो वह हमला कर सकता है।
3. अगर अचानक आपका सामना किसी स्नो लैपर्ड से हो जाए, तो शांत रहें। न तो भागने की कोशिश करें और न ही इसकी ओर पीठ करें।
4. विश्वास से भरी, जोर की आवाज निकालें और खुद को ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करें। स्नो लैपर्ड पर नजर बनाए रखते हुए धीरे–धीरे पीछे हटें।
5. स्नो लैपर्ड को निकलने की जगह दें, ज्यादा गुंजाइश उस बात की है कि ये चट्टानों की तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वहां सुरक्षित महसूस करता है। यदि संभव हो तो समतल भू–क्षेत्र की ओर बढ़ें।
6. अगर स्नो लैपर्ड आपके पीछे–पीछे चलता रहता है तो उससे नजरें मिलाए रखें और पीछे हटते समय बातें करते रहें।
7. अगर स्नो लैपर्ड हमला कर दे तो जवाबी टक्कर दें। उसकी आंखों और चेहरे पर हमला करें। पत्थरों, डंडियों या अपनी किसी निजी चीज का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करें। आपको स्नो लैपर्ड को ये अहसास कराना होगा कि आप उसके लिए एक खतरा हैं, उसका कोई शिकार नहीं।
8. अगर आपको स्नो लैपर्ड के बच्चे मिल जाते हैं, तो उस जगह से फौरन हट जाएं। मां आसपास ही हो सकती है और वह आपकी मौजूदगी के कारण खतरा महसूस करेगी।
9. अगर स्नो लैपर्ड आपके बाड़े में घुस जाता है, तो बाहर निकलने की किसी जगह के करीब न जाएं। मुख्य दरवाजा खोल दें और जल्द से जल्द बाहर निकलने की जगह खाली कर दें।

Picture Courtesy : unsplash.com

तिबेटन वुल्फ/तिब्बती भेड़िया

पहचान : भेड़ियों (कैनिस लूपस) का चेहरा आगे की ओर पतला होता है और इनके कान घरेलू कुत्तों के मुकाबले थोड़े बड़े और नुकीले से होते हैं। उनके बालों के रंग में काफी विविधता दिखती है, ये सुरमई, सुरमई–बादामी, सफेद, लाल और बादामी हो सकते हैं। भेड़ियों के गर्मियों और सर्दियों वाले बाल अलग–अलग तरह के होते हैं जो बसंत और पतझड़ में रंग बदलते रहते हैं। ये अकेले कम ही दिखते हैं, और अक्सर जोड़ों में या झुंडों में मिलते हैं।

खुराक : इनकी खुराक में पालतू भेड, पहाडी बकरी, जंगली याक, पालतू बकरी और हिरण शामिल होते हैं।

सुरक्षा एहतियात:

1. इस बात की संभावना न के बराबर होती है कि आपका सामना किसी तिब्बती भेडिये से होगा, चाहे आप इसके इलाके में ही क्यों न हों।
2. अगर ये दिख ही जाए, तो चौकन्ने रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
3. अगर इत्तेफाक से आपका सामना करीब से किसी भेड़िये से हो जाए, तो अपनी जगह डट कर खड़े रहें।
4. भागें नहीं।
5. भेडिये से नजरें मिलाए रखते हुए धीरे–धीरे पीछे हटें।
6. अगर भेड़िया आपकी ओर आता है, तो उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं, और उसे डरा कर भगाने के लिए जोर से शोर मचाएं।
7. खाना फेंके नहीं। भेडियों को खाने की चीजें देने से वे मनुष्यों के आदी हो जाते हैं और उन्हें खाने से जोड़ कर देखने लगते हैं।
8. यदि भेड़िया हमला कर दे, तो मरने का नाटक न करें। जवाबी हमला करें और उसकी आंखों को निशाना बनाएं।
9. अगर आपके सामने भेड़ियों का कोई झुंड हो, तो अल्फा भेड़िये यानी मुखिया को ढूंढें और उपरोक्त तरकीबें उस पर अपनाएं। और साथ ही बाकी झुंड पर भी नजर रखें। अगर मुखिया घबराने लगता है तो शायद बाकी झुंड भी हमला करने में हिचकिचाएगा।
10. अपनी पीठ बाकी झुंड की ओर न करें। अपनी पीठ किसी पेड़ या बड़े पत्थर से टिका दें।
11. भेड़ियों का सामना करने के लिए पत्थरों, डंडियों, बेअर स्प्रे या एयर हॉर्न का इस्तेमाल करें।

Picture Courtesy : unsplash.com

Picture Courtesy : images7.alphacoders.com

भाग-3

बाड़े के अन्दर मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

मवेशी पालने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब शिकारी जीव मवेशियों पर बाड़े के अन्दर हमला करता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, बाड़ों को मजबूत बनाने और मवेशियों की सुरक्षा के लिए अग्रलिखित एहतियाती उपाय किए जा सकते हैं।

1. स्थानीय सामग्री और पत्थरों का इस्तेमाल करके मजबूत बाड़े बनाएं।
2. सुनिश्चित करें कि दीवारों में अंतर या खाली जगह न हो।
3. धातु की जाली या ग्रिल का इस्तेमाल करके सभी खिड़कियों को कवर करें। हर ग्रिल के बीच का गैप 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
4. धातु के मजबूत दरवाजे इस्तेमाल करें।
5. सुनिश्चित करें कि दरवाजे और खिड़कियों को बन्द किए जाने के बाद उनमें कोई गैप न रह जाए।
6. शाम ढलने से सुबह होने तक दरवाजे बंद रखें।
7. बाड़े के ऊपरी हिस्से को तार की जाली से कवर करें और सुनिश्चित करें कि वो मजबूती से लगी हो। बाड़े की दीवारों पर जाली को टिकाने के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल करें।
8. इसके बजाय, तार की जाली वाला धातु का फ्रेम लगाया जा सकता है, जो बाड़े के ऊपरी हिस्से को ढंक दे।

अगर आपके बाड़े पर हमला हुआ है, तो इस बात की काफी गुंजाइश है कि अगले 10 दिन में जंगली जानवर फिर से हमला करने आएगा। अग्रलिखित उपाय अपना कर आप अपने बाड़े को बार–बार होने वाले हमलों से बचा सकते हैं।

1. मारे जा चुके मवेशी के पिन्जर को फेंके नहीं, क्योंकि भूखे शिकारी द्वारा फिर हमला करने की आशंका रहती है।
2. वन विभाग से राहत राशि पाने के सिलसिले में दावा पेश करने के लिए बीट के फॉरेस्ट गार्ड इन्चार्ज और प्रधान को सूचित करें। इनकी मौजूदगी में मृत जानवर के मालिक के साथ उसकी तस्वीर लें।
3. मरने वाले जीव के सभी अवशेषों को हमले वाली जगह से कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर उस दिशा में ले जाएं जहां शायद शिकारी जीव गया हो सकता है। पिन्जरों को रास्ते पर से खींचते हुए ले जाया जाना चाहिए ताकि उनके पीछे गंध छूट जाए।
4. पिन्जरों को दफनाएं या जलाएं नहीं, क्योंकि बचे–खुचे शारीरिक अवशेषों की ओर शिकारी आकर्षित हो सकते हैं।
5. कपड़े के कुछ टुकड़ों को डीजल में भिगो कर बाड़े के चारों ओर लटका दें, पर इनके बीच की दूरी 10 मीटर से ज्यादा न हो। इन्हें आग से दूर रखें।
6. बाड़े की बाड़ से करीब 1 मीटर दूर फ्लैड्री या छाथो लगाएं। इसमें शोर करने वाली चीजें इस्तेमाल करें और इससे डीजल की गंध भी आनी चाहिए। चीजों के बीच की दूरी 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जमीन से इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो।
7. हमले के बाद गार्ड डॉग को बाड़े के करीब बांधे।
8. हमले के बाद वाली पहली कुछ रातों के दौरान चौकन्ना रहना चाहिए और शिकारी जीव को दूर रखने के लिए लाइटों और आवाजों की मदद लें।
9. किसी एक उपाय के बजाय, इन सभी उपरोक्त उपायों को एक साथ इस्तेमाल करना ज्यादा लाभकारी होता है।
10. जंगली जीवों को भगाने संबंधी उपरोक्त अस्थायी उपायों को 3–4 हफ्ते तक अपनाया जाना चाहिए, इससे उन्हें मवेशियों का बार–बार शिकार करने की आदत नहीं पड़ेगी।

आभार

हम हिमाचल प्रदेश वन विभाग (HPFD) और स्नो लैपर्ड ट्रस्ट (SLT) को इस दस्तावेज़ को बनाने में हमारी सहायता करने के लिए उनके समानांतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम स्थानीय समुदायों और वन विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें इस दस्तावेज़ की अवधारणा में मदद करने के लिए इनपुट दिए।

इसके अलावा, हम दस्तावेज़ में योगदान करने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं:

- बिपिन चन्द राठौड़: प्रिंसिपल, जेएलएन गर्वनमैंट कॉलेज, इंडिया
- ऑरजन जोहान्सन: सीनियर साइंटिस्ट, स्नो लैपर्ड ट्रस्ट, स्वीडन
- संजय गुब्बी: साइंटिस्ट, नेचर कन्जर्वेषन फाउंडेषन, इंडिया
- विद्या अत्रेया: असोसिएट डाइरेक्टर, संरक्षण विज्ञान, वाइल्डलाइफ कंज़रवेशन सोसाईटी, इंडिया

अन्य स्रोत

http://www.projectwaghoba.in/awareness_materials.html
https://carnivora.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard
https://www.coniferousforest.com/tibetan-wolf.html
http://www.hpwildlife.gov.in/

डिज़ाइन क्रेडिट

Ochre Revival Design Studio
Ahmedabad (Gujarat)
http://ochrerevival.com | /ochrerevival

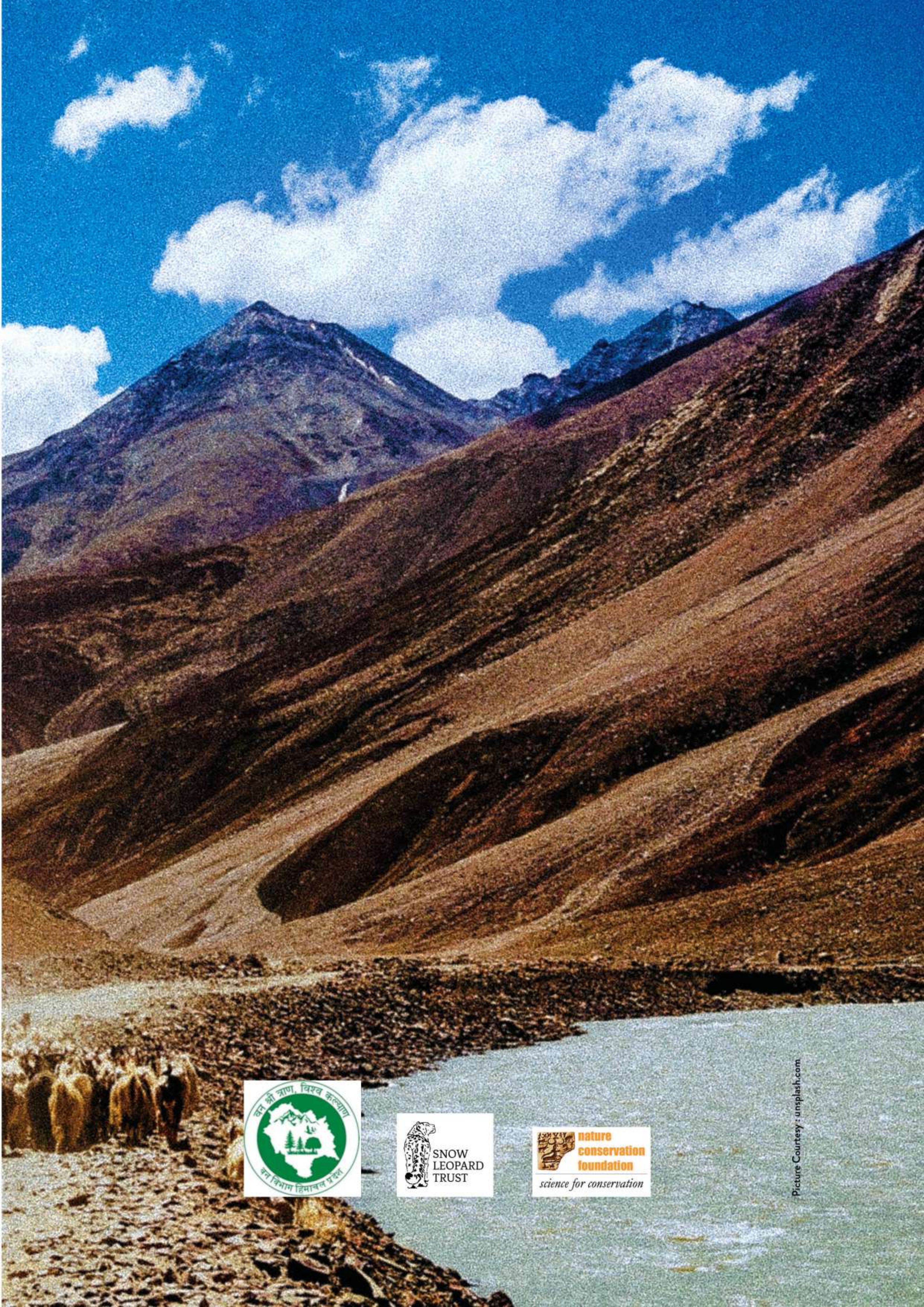

Picture Courtesy : unsplash.com